TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 4th February , 1998

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
*****

NEW DELHI, THE 4th February, 1998.

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O.No. -. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), as amended by the Income-tax (Amendment) Second Ordinance, 1997 (28 of 1997), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) after Rule 18 BBD, the following rule shall be inserted namely :-

" 18BBE. Computation of profits of certain activities forming integral part of a highway project for the purpose of section 80-IA.-

(1) For the purpose of sub-section (7A) of Section 80-IA,-

(a) the profits of housing or other activities, which are integral part of a highway project, shall be computed

or other activities which are integral part of a highway project can be arrived at in accordance with the regular method of accounting followed, the profits so arrived at as computed under the provisions of the Act;

(ii) In any other case, the amount of profits arrived at based on the percentage of completion of the activities referred to in clause (i) during the relevant previous year.

(2) Every assesse shall maintain separate accounts for the activities referred to in sub-rule (1) and shall submit a certificate from an accountant, specifying the amount credited to the reserve account and the amount utilised during the relevant previous year for the highway project.

Explanation :-

For the purposes of this rule, accountant means,-

(i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor or companies registered in that State.

(3) The certificate referred to in sub-rule (2) shall be in Form No.10 CCC";

(b) in the Appendix II, to the Income-tax Rules, 1962, after the Form No.10CCB, the following Form shall

" Form No.10CCC

(see rule 18BBE)

Certificate ~~Certified~~ under sub-rule (3) of rule 18BBE of the Income-tax Rules, 1962

*I/We have obtained all the information and explanations, from **M/s. .... (name and address of the assessee) relating to the housing or other activities which are integral part of a highway project referred to in sub-section (7A) of section 80-IA, carried on by the assessee during the previous year ended on .... ,

2. *I/We certified that the deduction claimed by the assessee under section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 in respect of the assessment year .... is Rs. .... , which has been worked out in accordance with the provisions contained in sub-rule (1) of rule 18BBE of the Income-tax Rules, 1962 read with sub-section (7A) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961.

3. The details of the deduction are given in the Annexure to this Form. In my/our* opinion and to the best of my/our* information and according to the explanations given to me/us* the particulars given in the Annexure are true and correct.

....

Signed

Date :.......... ***Accountant

Notes :

1. * Delete whichever is not applicable.

2. ** Here give name and address.

3. *** Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the certificate shall state the reasons therefor.

Annexure to Form 10CCC

Details of deductions claimed by the assessee under section 80-IA (7A) of the Income-tax Act, 1961.

1. Name of the Assessee

2. Assessment year

3. Profits of the previous year ended .... derived from business of housing or other activities which are integral part of a highway project referred to in sub-section (7A) of section 80-IA, computed in accordance with sub-rule (1) of rule 18BBE Rs. ......

4. Amount of profits out of (1) above, credited to reserve account to be utilised for the purposes of highway project as laid down in sub-section (7A) of section 80-IA Rs. ......

5. Amount utilised during the previous year for highway project and ebited to the reserve account Rs. ......

6. Balance amount in the reserve account Rs. ......

7. Amount credited to reserve account which has not been utilised for more than three years following the year

8. Remarks

Signed

Accountant".

Rmdash

(R.N. DASH)
DIRECTOR TO THE GOVERNMENT OF INDIA

No. 10526
F.No.142/76/97-TPL

Foot Note:- The Principal rules were published vide S.O. 969(E) dated 26.3.1962 and last amended vide S.O. 50(E) dated 16-01-98.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 4 फरवरी, 1998 में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

****

नई दिल्ली, तारीख 4 फरवरी, 1998

अधिसूचना

आय-कर

का0आ0 -केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1997 (1997 का 28) द्वारा संशोधित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 18 खख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 18खखङ. धारा 80-झक के प्रयोजन के लिए ऐसे कतिपय क्रियाकलापों, जो किसी राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग है -

नीचे विनिर्दिष्ट आधार पर और रीति से की जाएगी:-

(i) ऐसी दशा में, जिसमें ऐसे आवासन या अन्य क्रियाकलापों के, जो राजमार्ग परियोजना के अभिन्न अंग हैं, वार्षिक लाभ अनुसरित नियमित लेखा पद्धति के अनुसार निकाले जा सकते हैं, अधिनियम के उपबंधों के अधीन संगणित रूप में इस प्रकार निकाले गए लाभ;

(ii) किसी अन्य दशा में, सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान खंड (i) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के पूर्ण होने के प्रतिशत के आधार पर निकाले गए लाभों की रकम ।

(2) प्रत्येक निर्धारिती, उपनियम (1) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए पृथक लेखे बनाएगा और किसी लेखाकार से आरक्षित खाते में जमा की गई रकम और राजमार्ग परियोजना के लिए सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण :-

इस नियम के प्रयोजनों के लिए लेखाकार से अभिप्रेत है,-

(i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउन्टेंट; या

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति जो, किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति का हकदार है ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्ररूप सं० 10गगग में होगा";

(ख) आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट - 2 में प्ररूप सं० 10गगख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रूप सं0 10गगग

§नियम 18खखड॰ देखिए§

आय-कर नियम, 1962 के नियम 18 खखड॰ के उपनियम §3§ के अधीनप्रमाणपत्र

* मैंने / हमने** मैसर्स --

§निर्धारिती का नाम और पता§ से धारा 80-झक की उपधारा §7क§ मे निर्दिष्ट आवासन या अन्य क्रियाकलापों के संबंध में, जो किसी राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग है, और ~~के संबंध में~~ सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो निर्धारिती द्वारा ---------- को समाप्त हुए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए हैं।

2. * मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि निर्धारण वर्ष ---------- की बाबत आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा ~~80झक~~ 80-झक के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती ----------रु0 है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक की उपधारा §7क§ के साथ पठित आय-कर नियम, 1962 के नियम 18खखड॰ के उपनियम§1§ मे निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार निकाली गई है।

3. कटौती के ब्यौरे इस प्रूप के उपाबंध मे दिए गए हैं। मेरी / हमारी ** राय में और मेरी /हमारी * सर्वोत्तम ह जानकारी मे और मुझे / हमें * दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

....

हस्ताक्षर

तारीख .... *** लेखाकार

टिप्पण :

1. * जो लागू न हो उसे काट दें ।

2. ** यहाँ नाम और पता दें ।

3. *** जहाँ इस रिपोर्ट में कथित किसी भी विषय का उत्तर नकारात्मक रूप में या विशेषक के साथ दिया जाता है वहाँ प्रमाणपत्र में उसके लिए कारणों का कथन किया जाएगा ।

प्ररूप 10गगग का उपाबंध

निर्धारिती द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झक (7क) के अधीन दावा किए गए कटौतियों के ब्यौरे ।

1. निर्धारिती का नाम

2. निर्धारण वर्ष

3. आवासन या अन्य क्रियाकलापों, जो धारा 80-झक की उपधारा (7क) में निर्दिष्ट किसी राजमार्ग परियोजना का अभिन्न अंग है, के कारबार से व्युत्पन्न .... को समाप्त हुए पूर्ववर्ती वर्ष के लाभ, नियम 18खखड के उपनियम (1) के अनुसार संगणित ....रु0

4. ऊपर (1) के लाभों की रकम, जो धारा 80-झक की उपधारा (7क) में उपबंधित राजमार्ग परियोजनों के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने के लिए आरक्षित खाते में जमा की गई है ....रु0

5. राजमार्ग परियोजना के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रयुक्त और आरक्षित खाते में से विकलित रकम ....रु0

6. आरक्षित खाते में शेष रकम ....रु0

ऐसी रकम का अंतरण आरक्षित लेखे में
किया गया था ....रु०

8० टिप्पणियाँ

हस्ताक्षर

लेखाकार " ।

रवि दास
[आर एन० दास]
निदेशक, भारत सरकार

सं० 10526

फा० सं० 142/76/97-टीपीएल

पाद टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना का० आ० संख्या 969(अ) दिनांक 26-03-1962 द्वारा प्रकाशित किये गये थे। और उनमें आन्तिम संशोधन का० आ० सं० 50 (अ) दिनांक 16-01-98 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया।